आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Scheduled Caste Welfare Department (Anusuchit Jati Kalyan Vibhag)

Asvachchh Dhandha Chhatravritti (Anusuchit Jati)

मध्य प्रदेश में अस्वच्छ माने जाने वाले काम में लगे माता-पिता या अभिभावक के कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल छात्रवृत्ति दी जाती है।

क्या मिल सकता है

कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले हर पात्र विद्यार्थी को साल में 1,850 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। आवेदन पर कोई शुल्क नहीं लगता।

किसके लिए है

मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 1 से 10 के नियमित विद्यार्थी, जिनके माता-पिता या अभिभावक अस्वच्छ धंधे में लगे हैं।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 1 से 10 के बीच नियमित पढ़ रहा हो।
- माता-पिता या अभिभावक के अस्वच्छ धंधे में होने का प्रमाण पत्र संबंधित राजस्व अधिकारी से लेना होता है।
- योजना अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के परिवारों के बच्चों के लिए है।

दस्तावेज़

- अभिभावक के अस्वच्छ धंधे में लगे होने का प्रमाण पत्र, संबंधित राजस्व अधिकारी से

आवेदन कैसे करें

1. संबंधित राजस्व अधिकारी से अभिभावक के अस्वच्छ धंधे में होने का प्रमाण पत्र बनवाएं।
2. योजना पेज पर दिए गए लिंक के अनुसार मध्य प्रदेश के शिक्षा पोर्टल shikshaportal.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
3. आवेदन का कोई शुल्क नहीं है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=BySchemeFor&pointvalue=0&Schemeid=1
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-asvachh-dhandha-chhatravritti/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।